

क्रमांक :- 6062

दिनांक :- 19-10-2020

श्रीमान रीजनल ऑफिसर  
आरएसपीसीबी, भरतपुर

**विषय** :- ओरिजनल एप्लीकेशन सं० 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम  
राजस्थान राज्य, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।

**प्रसंग** :- श्रीमान का ई-मेल दिनांक 16.10.2020

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र में दिए गए निर्देशानुसार करौली जिले में खनिज बजरी के अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु श्रीमान जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 17.07.2018 से खनिज, वन, परिवहन, राजस्व एवं पुलिस विभाग का संयुक्त विशेष जाँच दल का गठन किया गया। उक्त संयुक्त जाँच दल द्वारा जिला करौली में खनिज बजरी के अवैध खनन स्थल मुख्यतया तहसील सपोटरा के ग्राम हाडौती एवं आस-पास के क्षेत्रों में बहने वाली बनास नदी क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध परिवहन के विरुद्ध नियमित रूप से कार्यवाही की जाती रही है।

इस कार्यालय के अधीन उडनदस्तों द्वारा बनाए गए चालानों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	चालानों की संख्या	वसूल की गई राशि लाखों में
1	2018-19	8	0.28
2	2019-20	41	1.95
3	2020-21	45	2.76

सूचना सादर प्रेषित है।

भवदीय

  
(धर्मपाल सिंह आशीवाल)  
जिला परिवहन अधिकारी  
करौली (राज०)